

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/एल-149/2023-

/स्वा०, पटना, दिनांक / / 2025

विभागीय आदेश संख्या-123(2), दिनांक 01.02.2024 द्वारा डा० रुबी कुमारी रेड्डी, दंत चिकित्सक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रजौन, बांका का दिनांक 01.08.2023 से 31.07.2024 तक कुल 366(तीन सौ छियासठ) दिन शिशु देखभाल अवकाश स्वीकृत किया गया था। पुनः डा० रेड्डी द्वारा दिनांक-01.08.2024 से 20.12.2024 तक कुल-142 (एक सौ बयालीस) दिन उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1956(25), दिनांक 12.10.2023 एवं वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में शिशु देखभाल अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है। उपभोगित अवकाश को घटाने के पश्चात डा० रेड्डी को 222 (दो सौ बाईस) दिन शिशु देखभाल अवकाश आदेय रह जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(विद्यानन्द जमादार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापक-2/एल-149/2023- 513(2) पटना, दिनांक 24/3/2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बांका/ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रजौन, बांका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, बांका/ डा० रुबी कुमारी रेड्डी, दंत चिकित्सक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रजौन, बांका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव